न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 99/2025 G.C.M.S. No. 2025/528 दर्ज दिनांक: 09.09.2025

अपीलार्थिगण:

1. चैनाराम पुत्र रणछोड़जी,
2. कमला पत्नी गोविन्दराम
3. कालुराम पुत्र रणछोडा
4. रताराम पुत्र संवाराम
5. शंकरलाल पुत्र सवाराम जातियान सुथार निवासीगण देबावास तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

01. हिरसिंह पुत्र वजींगसिंह जाति रजपूत निवासी देबावास तहसील आहोर जिला जालोर।
02. अशोक कुमार पुत्र सवाराम
03. कुईयाराम पुत्र रामाराम
04. कृष्ण कुमार पुत्र सवाराम
05. कालकीदेवी पुत्री रामाराम
06. गंगादेवी पत्नी रामाराम
07. जैताराम पुत्र सोना
08. ढेली पुत्री सोना
09. पोलाराम पुत्र सोना
10. भमरी पुत्री सवा
11. महेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्दराम
12. मांगीलाल पुत्र सवाराम
13. मोहिनीदेवी पुत्री सवाराम
14. रेखादेवी पुत्री गोविन्दराम
15. रमेश कुमार पुत्र रामाराम
16. लीला पुत्री सोना
17. सुकी पुत्री सोना
18. सुजकी पुत्री सोना
19. सुरेश कुमार पुत्र सवाराम
20. हुली पुत्री गोविन्दराम जातियान सुथार निवासीगण देबावास तहसील आहोर जिला जालोर।
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2023 बअनवान हिर सिंह बनाम अशोक कुमार में पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. श्री भगाराम डी परिहार विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 20।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2023 बअनवान हिर सिंह बनाम अशोक कुमार में पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रार्थी / रेस्पोडेण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा–251 (क) की उपधारा–2 के अधीन रास्ता, नया रास्ता एक आवेदन पत्र सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर के न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को इस आशय का प्रेश किया कि, प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर प्रार्थी ने सरहद मौजा देबावास तहसील आहोर जिला जालोर के खसरा नम्बर 1610 रकबा 1.8300 हैक्टर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ते का अभाव है। खेत खसरा नम्बर 1610 के दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1597 रकबा 1.400 हैक्टर किस्म सेवज दोयम का आया हुआ है, उसमें आने–जाने हेतु 12 फीट चौडा रास्ता जो डामर सडक से मिलता है, जिसके खसरा नम्बर 1566 यानि खेत सडक के उपर आया हुआ है, खसरा नम्बर 1566 से होकर अप्रार्थीगण के खेत में से 12 फीट चौडा रास्ता खेत खसरा नम्बर 1610 की माठ तक दिया जावें। जो रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है ओर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर भू.अभि. नि. द्वारा रिपोर्ट मंगवाई जाकर खेत खसरा नम्बर 1610 में आने–जाने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अन्य खसरा नम्बर 1596, 1597, 1598 एक ही परिवार की खातेदारी है तथा खेत खसरा नम्बर 1594/1936 व 2134 / 1594 की माठ पर दिया जाना उचित रहेगा। खसरा नम्बर 1595 व खसरा नम्बर 1596 में 600 वर्गमीटर भूमि बनती है, उसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने से यह रास्ता दिया जावें। न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 18.01.2023 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.8.2024 को अप्रार्थी संख्या2, 6, 8, 17 व 20 की ओर से वकालातनामा पेश किया, शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश हुए। दिनांक 12.3.2025 को अन्तिम अवसर देकर पत्रावली दिनांक 26.3.2025 को रखी गई। दिनांक 26.3.2025 को एकतरफा आदेश कर, बिना अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये, प्रार्थी के वकील की बहस सुनकर दिनांक 28.3.2025 को फैसला किया गया, उसके बाद दिनांक 28.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की लेकर पुनः फैसले को दुरूस्त कर दिनांक 28.5.2025 को पत्रावली फैसल की गई। मूल निर्णय दिनांक 28.3.2025 को निर्णित कर आदेश दिया कि "खसरा नम्बर 1610 में आने–जाने लिए खसरा नम्बर 1597 में मार्क–ए–बी मे रास्ता मांगा है जो खसरा नम्बर 1595, 1596 कुल लम्बाई 196 मीटर जो कि लम्बा रास्ता है वह रास्ता धारा–251 (क) के अन्तर्गत मार्क–ए, बी 178 मीटर रास्ता देकर डी.एल.सी. रेट दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को देने क आदेश देकर पालना 15 दिन के अन्तर्गत मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेण्ट संख्या–1 हिरसिंह को फायदा पहुंचाने की है, जबकि हिरसिंह के खेत खसरा नम्बर 1597 में आने–जाने के लिए अलग से रास्ता है तथा सैकडों वर्षों से हिरसिंह आवागमन कर रहा है। अपीलाण्ट चेनाराम ने न्यायालय में एक दावा पेश कर, हिरसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा मांगी गई थी, जिसमें अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 1595, 1596, 1597, 1598, 1599 में किसी प्रकार की तोड–फोड ना करें, ऐसा वाद विचाराधीन था, जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या–1 हिरसिंह को थी। दिनांक 25.03.2025 को एकतरफा आदेश पारित कर रिपोर्ट मांगकर, बहस रखी गई तथा दिनांक 26.03.2025 को गैर–मौजुदगी में बहस सुनकर निर्णय लिखा, फिर दिनांक 28.05.2025 को फैसले को दुरूस्त किया गया। न्यायालय का आदेश देने के बावजूद भी नोटिस की तामिल नहीं हुई थी। तहसीलदार द्वारा मौका देखने पर तमाम अप्रार्थीगण बाहर जाना बता रहे है तथा देशावर होना बताया गया है जो अप्रार्थीगण देशावर में रहते है तो नोटिस में किसकी तामिल करवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट भी मनमानी रूप से करवाई गई। अप्रार्थीगण को प्रोपर तामिल भी नहीं हुई। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 के पास वेकल्पिक रास्ता है, जिससे सदियों से आवागमन कर रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 मुख्य सडक पर सीधा आना चाहता है जिससे जमीन की वैल्यूशन बढे। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनसस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 को निरस्त फरमावें।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सरहद मौजा देबावास के खसरा नम्बर 1610 की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. सर्वप्रथम प्रार्थना धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का निर्णयन आवश्यक है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 18.01.2023 को पंजीकृत किया गया। आदेशिका में अप्राथी संख्या 02, 06, 08, 17 व 20 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किये जाने का अंकन है, लेकिन दीगर अप्रार्थीगण को न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए जाने का कोई अंकन नहीं है, न ही दीगर अप्रार्थीगण की समुचित तलबी होने या नहीं होने या उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश होने व नहीं होने के संबध में कोई अंकन नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की समुचित तामिल नहीं करवायी गयी तथा जवाब व प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्रदान किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दुषित होने व विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।
4. प्रकरण में भू. अ. नि देबावास द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित है, लेकिन प्रभावित खातेदारान अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थिति बाबत दिनांक 25.11.2024 को जारी नोटिस के अंकन अनुसार अप्रार्थीगण खातेदारान के देशावर होने का अंकन है अर्थात अप्रार्थीगण को भू.अ.नि. द्वारा मौके पर उपस्थिति बाबत विधिवत सूचित किए बिना प्रकरण में मौका रिर्पोट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गयी, तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि रास्ते के प्रकरण में जांच रिपोर्ट के संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी दिशा निर्देश अनुसार संबधित सक्षम अधिकारी को मौके पर उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दिनांक व समय का निर्धारण करते हुए समस्त सभी प्रभावित खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाना आज्ञापक है। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्ण अभाव पाया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2023 बअनवान हिर सिंह बनाम अशोक कुमार में पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा इस संबध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 05.10.2020 का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण आबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली